



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
 (A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

संजय भा. गवई
Sanjay B. Gawai
 कुलसचिव / Registrar

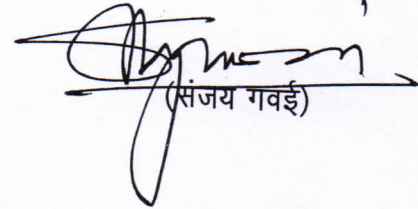
दूरभाष / Phone: +91-7152-230902
 फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 005/AT (AC)/2015/442
 दिनांक: 02.07.2015

अधिसूचना

विद्या-परिषद की 23.06.2015 को सम्पन्न 23^{वीं} बैठक की मद संख्या 18 के अंतर्गत लिए गए निर्णयानुसार पी-एच.डी. अध्यादेश क्रमांक 45/2009 में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है/अंश जोड़ा जाता है-

1. तकनीकी एवं व्यावहारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए पी-एच.डी. पूर्व प्रस्तुति सेमिनार में वाह्य/आंतरिक विशेषज्ञ कुलपति द्वारा नामित किए जाएंगे। पूर्व प्रस्तुति सेमिनार के अवसर पर सभी संकाय सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। तदनुसार पैरा 11.2 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की जाती
2. अध्यादेश के पैरा 10.1 में जोड़ा जाए कि 'शोधार्थी को प्रवेश के बाद प्रत्येक 04 माह की अवधि होने पर एक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट विभाग में प्रस्तुत करनी होगी।'
3. पैरा 2.1 में जोड़ा जाए कि 'पी-एच.डी. का अध्ययन नए परीक्षा मानक के अनुरूप कुल 120 क्रेडिट का होगा।'
4. पैरा 2.1 में उल्लिखित 'M.Phil/NET/JRF/SLET/SET' उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश की लिखित परीक्षा से छूट का प्रावधान अध्यादेश से निरस्त किया जाता है।'
5. पैरा 4.1 में जोड़ा जाए कि 'अध्ययन मंडल शोध विषय की अपेक्षा की दृष्टि से आवश्यकतानुसार को-सुपरवाइजर की नियुक्ति की संस्तुति करेगा।'


 (संजय गवई)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. सहायक कुलसचिव (परिषद)
5. परीक्षा विभाग
6. विश्वविद्यालय के सभी विभाग/केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र
7. प्रभारी लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
8. संबंधित फाइल